रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112024-258566
CG-DL-E-11112024-258566

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4486] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 11, 2024/कार्तिक 20, 1946
No. 4486] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 11, 2024/KARTIKA 20, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

सं. 32/2024–25

विषयः घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाइयों (डीटीए) और अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए)/निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू)/विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड़) इकाइयों से किए गए निर्यात के लिए आरओडीटीईपी स्कीम को बढ़ाने के संबंध में।

का.आ. 4867(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अधिसूचना संख्या 70/2023 दिनांक 08.03.2024 में निम्नलिखित परिवर्तन करती है, नामतः

i. डीटीए इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए आरओडीटीईपी स्कीम को 30.09.2024 से आगे 30.09.2025 तक बढ़ाया जा रहा है;

ii. अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों (मान्य निर्यातों को छोड़कर), निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड

इकाइयों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात के लिए आरओडीटीईपी स्कीम को 30.09.2024 से आगे 31.12.2024 तक बढ़ाया जा रहा है।

iii. तथापि, उपर्युक्त उप–पैरा i) और ii) में 30.09.2024 से आगे स्कीम के विस्तार के बावजूद, एफटीपी 2023 के पैरा 4.54 में यथा उपलब्ध बजटीय ढांचे का पालन करने के उद्देश्य से ताकि, व्यय स्कीम के अनुमोदित बजट के भीतर रहे, स्कीम के लाभों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे, जहां भी आवश्यक हो, जिसमें एफटीपी 2023 के पैरा 4.54 (v), (vi), (vii) के अनुसार पात्र आरओडीटीईपी निर्यात मदों, दरों, प्रति इकाई मूल्य अधिकतम सीमा और अन्य उपायों में संशोधन या विलोपन शामिल हैं, जैसे भी और जब भी आवश्यक हो।

2. आरओडीटीईपी समिति की सिफारिश के आधार पर नई आरओडीटीईपी दरें संशोधित परिशिष्ट 4द डीटीई (डीटीई इकाइयों के लिए) और परिशिष्ट 4दड. (अग्रिम प्राधिकार पत्र धारकों (मान्य निर्यात को छोड़कर), निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड इकाइयों के लिए) के अंतर्गत 10.10.2024 से अधिसूचित की जा रही हैं। तथापि, 01.10.2024 और 09.10.2024 के बीच किए गए निर्यात के लिए, अधिसूचना संख्या 70/2023 दिनांक 08.03.2024 के अनुसार मौजूदा दरें लागू रहेंगी।

3. नया परिशिष्ट 4द और परिशिष्ट 4दड. जिसमें पात्र आरओडीटीईपी निर्यात मदें, दरें और प्रति इकाई मूल्य अधिकतम सीमा शामिल हैं, जहाँ भी लागू हो, डीजीएफटी पोर्टल- www.dgft.gov.in पर 'विनियमन>आरओडीटीईपी' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

इस अधिसूचना का प्रभावः

आरओडीटीईपी स्कीम को डीटीए इकाइयों से किए गए निर्यात के लिए 30.09.2025 तक और एए/ईओयू/एसईज़ेड इकाइयों से किए गए निर्यात के लिए 31.12.2024 तक बढ़ाया गया है। परिशिष्ट 4द और परिशिष्ट 4दड. में यथा संशोधित दरें भी दिनांक 10.10.2024 से लागू करने के लिए अधिसूचित की गई हैं, जब आइसगेट पोर्टल नई दरों के साथ अपडेट हो जाएगा।

[फा. सं. 01/61/180/155/AM21/PC-3/PART-3]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2024

No. 32/2024-25

Subject: Extension of RoDTEP scheme for exports made from DTA Units and AA/EOU/SEZ Units -reg

S.O. 4867(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government makes the following changes in Notification No. 70/2023 dated 08.03.2024, namely:

i. The RoDTEP Scheme, for export of products manufactured by DTA Units, is being extended beyond 30.09.2024 till 30.09.2025;

ii. The RoDTEP Scheme, for export of products manufactured by Advance Authorization holders (Except deemed exports), Export Oriented Units (EOUs) and SEZ Units, is being extended beyond 30.09.2024 till 31.12.2024.

iii. However, notwithstanding the extension of the Scheme provided beyond 30.09.2024 in sub-paras i) and ii) above, in order to adhere to the budgetary framework as provided in Para 4.54 of FTP 2023, so that the outgo remains within the approved budget of the Scheme, necessary changes shall be made to the Scheme benefits, wherever necessary, including revisions or deletions in the eligible RoDTEP export items, rates, per unit value caps and other measures as per Para 4.54 (v), (vi). (vii) of FTP 2023, as and when required.

2. The new RoDTEP rates based on the recommendation of RoDTEP Committee are being notified w.e.f. 10.10.2024 under revised Appendix 4R (for DTA units) and Appendix 4RE (for Advance Authorization holders (Except deemed exports), Export Oriented Units (EOUs) and SEZ Units). However, for exports made between 01.10.2024 and 09.10.2024, the existing rates as in Notification No.70/2023 dated 08.03.2024 shall continue to apply.

3. The new Appendix 4R and Appendix 4RE containing the eligible RoDTEP export items, rates and per unit value caps, wherever applicable is available at the DGFT portal- www.dgft.gov.in under the link 'RegulIations>RoDTEP'.

Effect of this Notification:

The RoDTEP scheme is extended for exports made from DTA Units till 30.09.2025 and AA/EOU/SEZ Units till 31.12.2024. The revised rates as in Appendix 4R and Appendix 4RE are also notified for implementation with effect from 10.10.2024. once the ICEGATE portal gets updated with new rates.

[F. No. 01/61/180/155/AM21/PC-3/PART-3]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.11.11 14:50:28 +05'30'